कक्षा पांच की छात्रा हैं। (जास)

दिया। बस नहीं मिलने से उन्हें बाहर का इंतजार कर रहा हूं, पर अभी तक आए थे। अब चार बजे हैं पर अभी अब गाड़ी बुक कराकर जाना पड़ेगा।

इन हेलमेट से चालान से तो बच सकते हैं, लेकिन जिंदगी खोने से नहीं

नकली हेलमेट

हसीन शाह ● जागरण

साहिबाबाद: लोनी के बेहटा हाजीपुर में फैक्ट्री में छापेमारी के दौरान पकड़े गए हेलमेट बेहद घटिया दर्जे के थे। ये हेलमेट सड़क हादसे में जिंदगी बचाने में सक्षम नहीं हैं। सड़क पर गिरते ही टूट जाते हैं। काफी समय से ऐसे हेलमेट बेचे जा रहे थे। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआइएस) ने एक हजार से अधिक हेलमेट जब्त कर जांच शुरू कर दी है।

लोनी में फैक्ट्री से नकली हेलमेट बरामद करती बीआइएस की टीम ● सौ. विभाग

- सड़क पर गिरते ही टूट जाता है हेलमेट, जान से कर रहे थे खिलवाड़
- नकली हेलमेट बनाने की फैक्ट्री पर की गई थी छापेमारी
- जांच में आया कि बेहद घटिया दर्जे की सामग्री का प्रयोग कर रहे थे आरोपित, जो दुर्घटना होने पर मानव जीवन के लिए खतरनाक है

हेलमेट की गुणवत्ता को ध्यान रखना बहुत जरूरी

बीआइएस के सहायक मानक संवर्धन सलाहकार आयुष ने बताया कि घटिया दर्जे के हेलमेट लेने की बजाय आइएसआइ मार्का के हेलमेट ही खरीदें। उसकी गुणवत्ता चेक कर लें। दोपहिया वाहन पर जान बचाने में हेलमेट की सबसे अहम भूमिका रहती है।

बीआइएस को जानकारी मिली थी कि बेहटा हाजीपुर में बिना मानक के हेलमेट बन रहे है। शाखा प्रबंधक कुमार अनिमेष के निर्देश पर शुक्रवार को बीआइएस के संयुक्त निदेशक नवीन कुमार, उप निदेशक हरिओम मीना, अनुभव वर्मा व पुलिस टीम फैक्ट्री पहुंची। वहां पुलिस को देख कामगार इधर-उधर निकल गए। जांच में पता चला कि मुख्य आरोपित मनोज कुमार है। वह संत रविदास नगर का रहने वाला है। दूसरे आरोपित की पहचान लोनी के मनोज कुमार के रूप में हुई है। यह फैक्ट्री दुर्गा एंटरप्राइजेज के नाम से चल रही थी। इसकी मालिक रीना है। मौके से एक हजार अर्धनिर्मित हेलमेट व एक्सपायर हो चुके लाइसेंस के 30 हेलमेट मिले। हेलमेट बनाने की सामग्री व हेलमेट जब्त कर जांच की जा रही है। साक्ष्य के तौर पर कुछ हेलमेट सील किए गए। बीआइएस अधिनियम 2016 के तहत केस दर्ज हुआ है। जांच में आया है कि यह हेलमेट बेहद घटिया दर्जे के थे। दोपहिया वाहन से गिरने के बाद जैसे ही सिर सड़क पर लगता तो हेलमेट टूट जाता। इससे वाहन सवार की जान तक जा सकती थी।

फुटपाथ पर अधिक बिकते हैं घटिया दर्जे के हेलमेट: हेलमेट मानक के अनुसार नहीं बने थे। आरोपित एनसीआर में हेलमेट बेच रहे थे। कब व कितने हेलमेट बेचे जा चुके हैं, इसकी जांच जारी है। ज्यादातर इनके हेलमेट फुटपाथ पर लगने वाली दुकानों पर बिक रहे थे। कुछ दुकानों पर भी सप्लाई होते थे। आरोपितों को पता है कि ज्यादातर लोग हेलमेट चालान से बचने के लिए पहनते हैं।

****

हेलमेट बनाने वाली कंपनी पर मारा छापा

साहिबाबाद। पुराने लाइसेंस पर आईएसआई मार्का वाले हेलमेट बनाने वाली कंपनी मेसर्स दुर्गा एंटरप्राइजेज के खिलाफ भारतीय मानक ब्यूरो ने कार्रवाई की है। उपभोक्ता की शिकायत पर शुक्रवार को गाजियाबाद शाखा ने लोनी स्थित कृष्णा विहार गांव के बेहटा हाजीपुर में छापा मारा। इस दौरान लगभग 1,000 अर्द्धनिर्मित हेलमेट के साथ कई एक्सपायर हो चुके लाइसेंस के आईएसआई मार्का वाले लगभग 30 हेलमेट पाए गए। संवाद

Raid Conducted by BIS Ghaziabad Branch Office Team

Udday Singh
info@impressivetimes.com

GHAZIABAD: The team from the Bureau of Indian Standards (BIS) Ghaziabad branch office conducted a search and seizure operation at Khasra Number 1743, Krishna Vihar, Village - Behta, Hajipur, Loni, Ghaziabad, based on investigations and evidence of violations under the BIS Act 2016. Three parties were accused in this raid, including Mr. Manoj Kumar (son of Chhavinath, Kalnua, Jangiganj, Sant Ravidas Nagar, Uttar Pradesh, 221310), co-accused Mr. Manoj Kumar (son of Shyam Dev Prajapati, Khasra Number 1743, Krishna Vihar, Village - Behta, Hajipur, Loni, Ghaziabad, Uttar Pradesh), and M/s Durga Enterprises (Khasra Number 128-129, Teela Shahbazpur, Loni, Ghaziabad, Uttar Pradesh, 201102), owned by Ms. Reena. The firm possessed approximately 1000 unfinished helmets, and about 30 helmets with expired ISI marked licenses were also found. The Ghaziabad branch office of the Bureau of Indian Standards had been continuously informed about this by some consumers. Upon receiving this information, a team led by Branch Manager Mr. Kumar Animesh was formed, which successfully executed this search and seizure operation. The operation was conducted with the cooperation of Ghaziabad Police personnel, supervised by Mr. Navin Kumar (Joint Director), Mr. Hariom Meena (Deputy Director), Mr. Anubhav Verma, and others from the Bureau of Indian Standards. All seized materials have been confiscated and placed under custody of the firm. Some helmets have also been sealed as evidence. The branch office will register a case under the provisions of the BIS Act 2016 against the violations committed and present the seized materials as evidence in court. After this raid operation, Branch Manager Mr. Kumar Animesh of the Bureau of Indian Standards Ghaziabad branch emphasized that the Bureau will not tolerate any misuse of standards or fraud against consumers in any manner. Such raid operations will continue, and consumers are urged to report any misuse or fraud related to such standards in their vicinity through the BIS Care app or other means to reach the office.

THE WATER LEVEL AT THE WAZIRABAD BARRAGE HAS PLUNGED BY SIX FEET TO 668.5 FEET, AND THE WATER RECEIVED FROM MUNAK CANAL HAS DECREASED TO 902 CUSECS.

गाजियाबाद पुलिस के पुलिसकर्मियों के सहयोग से चलाया गया अभियान

गाजियाबाद

बीआईएस गाजियाबाद शाखा कार्यालय की टीम ने खसरा नंबर 1743, कृष्णा विहार, गांव - बेहटा, हाजीपुर, लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में तलाशी और जब्ती अभियान चलाया। किए गए शिकायत की जांच और साक्ष्यों के आधार पर इक्र एक्ट 2016 के उल्लंघन में यह छापामारी अभियान चलाया गया, तीन पक्षों को आरोपी पाया गया, जिनमें मुख्य आरोपी मनोज कुमार (पुत्र छविनाथ, कलनुआ, जंगीगंज, संत रविदास नगर, उत्तर प्रदेश, 221310), सह-आरोपी मनोज

कुमार (पुत्र श्याम देव प्रजापति, खसरा नंबर 1743, कृष्णा विहार, गांव - बेहटा, हाजीपुर, लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश) और मेसर्स दुर्गा एंटरप्राइजेज (खसरा नंबर 128-129, टीला शाहबाजपुर, लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, 201102) सुश्री रीना के स्वामित्व में हैं। फर्म के पास लगभग 1000 अर्धनिर्मित हेलमेट उपलब्ध थे। फर्म के पास कई एक्सपायर हो चुके लाइसेंस के क्रक मार्क वाले लगभग 30 हेलमेट भी मौजूद थे।

भारतीय मानक ब्यूरो गाज़ियाबाद शाखा को इसकी जानकारी कुछ उपभोगताओं द्वारा निरंतर दिया जा रहा था। जिसके बाद शाखा प्रबंधक श्री कुमार अनिमेष के नेतृत्व में गठित टीम ने इसकी जानकारी जुटा, इस जब्ती आभियान को सफल बनाया, यह तलाशी और जब्ती अभियान भारतीय मानक ब्यूरो के जिसमें नवीन कुमार (संयुक्त निदेशक) श्री हरिओम मीना (उप निदेशक) अनुभव वर्मा एवम अन्य द्वारा गाजियाबाद पुलिस के पुलिसकर्मियों के सहयोग से चलाया गया।